न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—233/2020/225 (2020/00233)

1. भंवरसिंह पुत्र भोमा,
2. मदनसिंह पुत्र भोमा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती हीरी पत्नि स्व0 मदनसिंह,
   2/2— सुमेरसिंह पुत्र स्व0 मदनसिंह
   2/3— ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 मदनसिंह
   2/4— श्रवणी पुत्री स्व0 मदनसिंह
   2/5— सुनीता पुत्री स्व0 मदनसिंह,
   2/6— सुशीला पुत्री स्व0 मदनसिंह
   2/7— शीला पुत्री स्व0 मदनसिंह,
   2/8— सीमा पुत्रपी स्व0 मदनसिंह,
3. मोहनसिंह पुत्र भोमा,
4. कैलाश पुत्र भोमा,
5. प्रेमसिंह पुत्र भोमा,
6. नरेन्द्रसिंह पुत्र भोमा,
7. श्रीमती सम्पति पुत्री भोमा,
8. श्रीमती शांति पुत्री भोमा,

   समस्त जाति रावत, निवासी रेलवे स्टेशन ढाणी, लच्छीपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गुमानी पत्नि स्व0 मदन,
2. धर्मसिंह पुत्र मदन,
3. रणजीत पुत्र मदन,
4. महेन्द्र पुत्र मदन,

   समस्त जाति रावत, निवासी लच्छीपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
5. श्रीमती केसर पुत्री मदन पत्नि भागचंद जाति रावत, निवासी अनसरी वाया मांगलियावास, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. मीरा पत्नि विजयसिंह,
7. शांति पत्नि जयसिंह,
8. मीना पत्नि अजयसिह,
9. श्रवण पुत्री नौरत,

   समस्त जाति रावत, निवासी लच्छीपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
10. श्रीमती रूपी पुत्री नौरत पत्नि पूनमसिंह, जाति रावत, निवासी मसीनिया, तहसील व जिला अजमेर ।
11. श्रीमती सेठी पुत्री नौरत पत्नि नानूसिंह, जाति रावत, निवासी सरदारपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
12. गोपीसिंह पुत्र हेमसिंह,
13. छगन पुत्र दूला (मृतक) जरिये वारिसानः—
    13/1— श्रीमती देव कंवर पत्नि छगन,
    13/2— रामसिंह पुत्र छगन,
    13/3— प्रेमसिंह पुत्र छगन,
    13/4— पिन्टू सिंह पुत्र छगन,

    समस्त जाति रावत, निवासी लच्छीपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

13/5– श्रीमती माया पुत्री छगन पत्नि प्रभूसिंह, जाति रावत, निवासी लामाना, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

14. जयसिंह पुत्र दूला,
15. बन्नासिंह पुत्र दूला,
समस्त जाति रावत, निवासी लच्छीपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
16. जेती पुत्री दूला पत्नि मदनसिंह, जाति रावत, निवासी दौलपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
17. शांति पुत्री दूला पत्नि किशनजी, जाति रावत, निवासी धोलादांता, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
18. आपू पुत्री दूला पत्नि सम्मूजी, जाति रावत, निवासी चैनपुरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
19. गोरी पुत्री दूला पत्नि बीरम, जाति रावत, निवासी भवानीखेड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
20. सीता पुत्री दूला पत्नि बीरम, जाति रावत, निवासी जाटिया, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
21. झमकू पुत्री दूला पत्नि मदन, जाति रावत, निवासी धोलादांता, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
22. मेघसिंह पुत्र दूला (मृतक) जरिये वारिसानः–
22/1– श्रीमती भंवरी पत्नि स्व0 मेघसिंह,
22/2– दिलीप पुत्र मेघसिंह,
22/3– पप्पनसिंह पुत्र मेघसिंह,
22/4– चकरी पुत्री मेघसिंह,
22/5– लाली पुत्री मेघसिंह,
23. श्रीमती छोटी पत्नि राजू,
24. हेमा पुत्र राजू,
25. लक्ष्मण पुत्र राजू,
26. रामदेव पुत्र राजू,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम लच्छीपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
28. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 23.10.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 5/2018.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 26 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 26.

निर्णय

दिनांकः– 12.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 23.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 26 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए

राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज भोमा पुत्र मंगला की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजियात खसरा नंबर 188 रकबा 0.93 है0 कस्म बारानी–2 ग्राम लच्छीपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है । भोमा पुत्र मंगला का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थीगण होकर उक्त आराजियात पर बहैसियत सहखातेदार/सहदायिक संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात खसरा नंबर 188 के पूर्व दिशा में देलवे स्टोशन गच्छीपुरा अवस्थित है । उक्त स्टेशन के पश्चात् पूर्व दिशा में रेल मार्ग अवस्थित है । उक्त रेल मार्ग पर फाटक लगी हुई है जिससे रेल मार्ग के पश्चात् पूर्व दिशा में ग्राम लच्छीपुरा का विद्यालय अवस्थित है । प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात के दक्षिण दिशा में लगती हुई आवासीय ढाणी अवस्थित है जहां ढाणी रेलवे स्टेशन गच्छीपुरा के निवासियों के कई मकान आबाद है । उक्त ढाणी से दक्षिण दिशा में ग्राम गच्छीपुरा की आबादी बसी हुई है । उक्त आबादी के पश्चिम दिशा में लगते हुए मुख्य सड़क मार्ग अवस्थित है । उक्त सड़क मार्ग से खसरा नंबर 145 जिसका दक्षिण पश्चिमी कोना उक्त वर्णित मुख्य सड़क मार्ग से लगते हुए अवस्थित है एवं सड़क मार्ग से उत्तर दिशा में खसरा नंबर 145 की पश्चिमी मेड़ से लगता हुआ हटूण्डी व देदूला ग्रेवल रोड़ बनी हुई है । खसरा नंबर 145 के उत्तर दिशा में लगते हुए खसरा नंबर 144 अवस्थित है एवं खसरा नंबर 144 व 145 की पश्चिमी मेड़ के सहारे दक्षिण में अवस्थित मुख्य सड़क मार्ग से उक्त दोनों खेतों की पश्चिमी मेड़ से लगते हुए उत्तर दिशा में हटूण्डी, देदूला ग्रेवल रोड़ अवस्थित है जिससे सभी ग्रामवासी लच्छीपुरा एवं रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिर, विद्यार्थी तथा ढाणी रेलवे स्टेशन गच्छीपुरा एवं ग्राम ककलाना तथा ग्राम बाडियां का बाला तथा समस्त कृषक उक्त ग्रेवल रोड़ पर खसरा नंबर 144 तथा 145 के मध्य अवस्थित मेड़ तक आकर तत्पश्चात् खसरा नंबर 144, 193, 192, 190 तथा 189 की दक्षिणी मेड़ एवं खसरा नंबर 145, 184, 185, 186, 187 की पूर्वी मेड़ पर भौतिक रूप से अवस्थित कदीमी रास्ते से आते जाते रहे है । उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है लेकिन रेस्पो0 ने एकजुट होकर उक्त रास्ते को बंद कर दिया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके पर 30 फुट चौड़ा सार्वजनिक आम रास्ता के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 23.10.2020 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्यायालय के समक्ष पत्रावली बहस हेतु परिपूर्ण नहीं थी फिर भी उसे कैम्प कोर्ट सराधना में ले जाकर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नजरअंदाज कर आदेश पारित कर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 के नोटिस अदम तामील आने के कारण दिनांक 4.9.2020 को रजिस्टर्ड ए.डी.नोटिस प्रस्तुत किये गये थे जिनका तामील होना शेष था एवं रेस्पो0 संख्या 13 छगन का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय पारित नहीं किया । अधी0न्याया0 ने मृतक पक्षकार के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये बिना ही प्रार्थना पत्र को अनिर्णित रखते हुए आदेश पारित किया है जो विधिक प्रकिया के

विपरीत होने निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय में उनवान भी पूर्ण अंकित नहीं किये गये है जो आदेश 5 नियम 20 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है । अपीलांटस द्वारा चाहे गये मार्ग खसरा संख्या 144 तथा 145 के मध्य अवस्थित मेड़ तक आकर तत्पश्चात् खसरा नबर 144, 193, 192, 190 तथा 189 के दक्षिणी मेड़ एवं खसरा नंबर 145, 184, 185, 186 तथा 187 की पूर्वी मेड़ पर रास्ता चाहा गया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग अवस्थित नहीं है । उक्त तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष तहसीलदार, अजमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी सिद्ध है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के अनुसार खसरा नंबर 193 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 193/1311 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन नाला होकर सिवायचक दर्ज है तथा खसरा नंबर 143 किस्म गैर मुमकिन नालाल ए.डी.ए. के नाम दर्ज है तथा चाहे गये रास्ते में उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान यथा 143, 193 तथा 183/1311 एवं रेस्पो0 की सहखातेदारी की भूमि खसरा नंबर 182 रकबा 0.03 है0 तथा 181 रकबा 0.08 है0 का आंशिक भाग भी शामिल होता है लेकिन उक्त खसरा नंबरान को प्रार्थना पत्र में शामिल नहीं किया गया है । जबकि खसरा नंबर 143 पर ग्रेवल रोड़ बनी है एवं खसरा नंबर 193 तथा 193/1311 का आंशिक भाग रास्ते में आता है जिस पर ग्रामवासी बारिस के दिनों में ऊपर पट्टी कातले रखकर पार करते है । अतः अपीलांट की और से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान को भी उक्त अपील मे शामिल करने हेतु निवेदन किया जा रहा है एवं खसरा नंबर 181 व 182 के सहखातेदारान पूर्व से पक्षकार कायम है । अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 12 द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश किया गया था तथा खसरा नंबर 143 ए.डी.ए. के नाम दर्ज होने से न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील में पक्षकार कायम किया जा रहा है । खसरा नबर 193 व 193/1311 सिवायचक दर्ज है तथा राज्य सरकार पूर्व से ही पक्षकार कायम है । अतः तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नंबरान को भी प्रकरण में शामिल करते हुए ग्रामवासियान को रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा ग्राम लच्छीपुरा स्थित आराजियात खसरा नंबर 144 तथा 145 के मध्य अवस्थित मेड़ तक आकर तत्पश्चात् खसरा नंबर 144, 193, 192, 190, 189 की दक्षिणी मेड़ एवं खसरा नंबर 145, 184, 185, 186, 187 की पूर्वी मेड़ तथा खसरा नंबर 181, 182, 143, 193/1311 का जो भू–भाग तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत के अनुसार उक्त रास्ते में शामिल होता है पर 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रदान करने का आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 27 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा चाहे गये रास्ते में खसरा नंबर 193 गैर मुमकिन नाला दर्ज होकर सिवायचक दर्ज है जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है । इसी प्रकार खसरा नंबर 143 से रास्ता चाहा गया था जो गैर मुमकिन नाला होकर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है जिसमें से भी रास्ता नहीं दिया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए

राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 188 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा नंबर 144, 145, 184, 185 से 187, 193, 192, 189 में से रास्ते का अनुतोष चाहा है । उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया । अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 12 ने इकबाली जवाबदावा पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, अजमेर से रास्ते के संबंध में मौका रिपार्ट तलब की है जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक, तबीजी, तहसील व जिला अजमेर ने दिनांक 16.12.2019 को विवादित रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट भिजवाई जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि " खसरा नंबर 193 रकबा 0.01 है0 भूमि किस्म गैर मुमकिन नाला सिवायचक दर्ज है । इसी प्रकार मुख्य रास्ते के खसरा नंबर 143 से रास्ता चाहा गया है यह मुख्य रास्ता भी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज न होकर गैर मुमकिन नाला अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है । प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के खसरा नंबरान में राजस्व मानचित्र अनुसार खसरा नंबर 181, 182 एवं 193/1311 भी आते है जिनका अंकन प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है । भू–अभिलेख निरीक्षक, तबीजी की उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा चाहे गये रास्ते के संबधं में खसरा नंबर 193 की किस्म गैर मुमकिन नाला सिवायचक दर्ज होकर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर की किस्म 193/1311 गैर मुमकिन नाला सिवायचक दर्ज है । भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस ने रास्ते में आने वाली अन्य भूमियों खसरा नंबर 181, 182, 193/1311 का भी उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है । उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया है जिससे भी अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त मौका रिपोर्ट के क्रम में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थीगण को नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 यथावत् रखा जाता है ।व पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर